



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237884
CG-DL-E-03082022-237884

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3485]
No. 3485]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 2022/श्रावण 12, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 2022/SHRAVANA 12, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

आय-कर

का.आ. 3652(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 47 के खंड (vii)कख) के उपखंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं 986(अ), तारीख 5 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2020, तारीख 5 मार्च, 2020 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के,-

(i) पहले पैरा में, खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(vi) अंतर्निहित बुलियन के साथ बुलियन निक्षेपागार प्राप्ति”

(ii) स्पष्टीकरण में खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) “अंतर्निहित बुलियन के साथ निषेधागार प्राप्ति” का वही अर्थ होगा जो सं. फा.सं. 3/7/2020-ईएम तारीख 31 अगस्त, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 2957(अ) द्वारा स्पष्टीकरण के खंड (iii) में दिया गया है।”

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 89/2022/फा. सं. 370142/26/2019-टीपीएल-भाग (1)]

उम्मे फरदीना आदिल, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 986(अ), तारीख 5 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2022

INCOME-TAX

S.O. 3652 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (viiab) of section 47 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue), number 16/2020, dated the 5th March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 986(E), dated 5th March, 2020, namely:-

In the said notification, -

(i) in the first para, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely: -

“(vi) *Bullion Depository Receipt with underlying bullion,*”

(ii) in the *Explanation*, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -

“(c) “*Bullion Depository Receipt with underlying bullion*” shall have the same meaning as assigned to it in clause (iii) of *Explanation* by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance *vide* its notification number S.O. 2957 (E), published in Gazette of India, Extraordinary, *vide* number, F.No.3/7/2020-EM dated the 31st August, 2020.”

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 89/2022/F. No. 370142/26/2019-TPL-Part(1)]

UMME FARDINA ADIL, Under Secy. (TAX POLICY & LEGISLATION)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 986(E) dated 5th March, 2020